ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL**04292**
RNI REG. NO. UPBIL/**2014/66218** **PP. No.- 274-276**
I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e–I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-20, No.- III, Issues-41, YEAR- July-Sept. 2026

औपनिवेशिक शासन के दौरान आपराधिक (विमुक्त एवं घुमंतू जनजातियाँ) : अपराधीकरण, प्रतिरोध और सांस्कृतिक अस्तित्व का विमर्श

डॉ0 बी0 के0 लोधी
Ex.-Senior Fellow-ICSSR (U.P.) India

Received-20.08.2026, Revised-28.08.2026, Accepted-07.09.2026, **E-mail:bklodhi@gmail.com**

सारांशः ***यह शोध–पत्र ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन में विमुक्त, घुमंतू एवं अर्द्ध–घुमंतू समुदायों के योजनाबद्ध अपराधीकरण, उनके ऐतिहासिक युद्ध एवं प्रतिरोध विरासत, और उनके सांस्कृतिक–आध्यात्मिक अस्तित्व पर प्रभावों का बहुआयामी अध्ययन प्रस्तुत करता है। औपनिवेशिक प्रशासन ने स्थिरवासी योद्धा–किसान समुदायों–जैसे लोधी/लोधा, गूजर, मल्लाह, पासी, बहेलिया, तथा दक्षिण भारत के मारवार–को "भेजर क्रिमिनल ट्राइब्स" घोषित किया, जबकि घुमंतू जातियों को "माइनर क्रिमिनल ट्राइब्स" वर्ग में रखा (Radhakrishna, 2001)। इस शोध का केंद्रीय निष्कर्ष यह है कि यह वर्गीकरण अपराध पर आधारित नहीं बल्कि राजनीतिक नियंत्रण हेतु निर्मित औपनिवेशिक उपकरण था। इन समुदायों का इतिहास विदेशी आक्रांताओं से युद्ध, जल–जंगल–जमीन के स्वामित्व, कृषक प्रतिरोध, तथा स्वशासी सामाजिक संस्थाओं का इतिहास रहा है। घुमंतू समाजों की प्राकृतिक, गतिशील और गैर–स्थिर जीवनशैली को भी औपनिवेशिक शासन ने संदिग्ध माना। इस प्रकार, 'क्रिमिनल ट्राइब्स' की अवधारणा वस्तुतः उपनिवेशवादी राज्य द्वारा भारतीय समाज की स्वायत्त, प्रतिरोधक और प्रकृति–सम्बद्ध परंपराओं को विघटित करने का राजनीतिक प्रकल्प थी।***

कुंजीभूत शब्द– हाइब्रिड युद्ध, सैन्य रणनीति, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन, UAV, साइबर युद्ध, सूचना युद्ध, स्वायत्त हथियार, राष्ट्रीय सुरक्षा।

1. प्रस्तावना– (Introduction)– ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने शासन की स्थिरता बनाए रखने हेतु भारतीय समाज की संरचना का वर्गीकृत, अनुशासित और निगरानीयुक्त पुनर्गठन किया (Dirks, 2001)। 'क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट' (1871, संशोधित 1911, 1924) इस दिशा में सबसे कठोर औजार था। इस कानून के तहत लगभग 200 समुदायों को जन्मजात आपराधिक जनजाति घोषित किया गया। यह अवधारणा यूरोपीय नस्लवादी क्रिमिनोलॉजी और औपनिवेशिक सैन्य–राजनीति से प्रेरित थी, जिसका मानना था कि कुछ जातियाँ 'अनुवांशिक रूप से' अपराध की ओर प्रवृत्त होती हैं (Arnold, 1979)।

यह शोध–पत्र यह तर्क देता है कि क्रिमिनलाइज़ेशन का आधार अपराध नहीं बल्कि प्रतिरोध, प्रतिशोध, स्वतंत्रता, स्वायत्तता और स्वछंद भ्रमणशीलता (घुमंतू जीवन शैली थी।

2. उपनिवेशवादी शासन और "क्रिमिनल ट्राइब्स" की अवधारणा का उद्भव–

2.1 नस्ली–अपराध सिद्धांत और उपनिवेशवादी सत्ताः उन्नीसवीं सदी के यूरोप में लोम्ब्रोज़ो के 'जन्मजात अपराधी' सिद्धांत को ब्रिटिश ने भारत में शासन–औजार के रूप में लागू किया। इससे उन समुदायों को लक्षित किया गया जो–

- राज्य के कर एवं लगान तंत्र को चुनौती देते थे।
- स्थानीय शस्त्र एवं सैन्य परंपराओं के वाहक थे।
- जंगल और पहाड़ी इलाकों में स्वायत्त रूप से रहते थे।
- राजस्व प्रशासन के लिए 'अनियंत्रित' माने जाते थे।

इस प्रकार, ब्रिटिश शासन ने अपराध को सामाजिक–राजनीतिक विद्रोह के समकक्ष स्थापित कर दिया (ळनीं, 1983)।

3. स्थिरवासी विमुक्त समुदायः भूमि, युद्ध और प्रतिरोध का इतिहास–

3.1 लोधी/लोधा, गूजर, मल्लाह, पासी, बहेलियाकृएक प्रतिरोधी सामाजिक–सैन्य परंपराः लोधी/लोधा, गूजर, मल्लाह, पासी और बहेलिया समुदाय ऐतिहासिक रूप से–

- कृषि भूमि के प्राचीन स्वामी।
- स्थानीय किलेदारों, चौकियों, और सुरक्षा तंत्र से जुड़े।
- घुड़सवारी, धनुर्विद्या, नौकायन, और शिकार में दक्ष।

माने जाते रहे हैं (Russell – Hiralal, 1916)।

बहेलिया प्राचीन काल में धनुर्धर शिकारी वनवासी घुमंतू समुदाय थे, जो कि औपनिवेशिक काल तक काफ़ी हद तक स्थिरवासी हो चुके थे। परंपरा से धनुर्धर होने के कारण राजाओं ने इनकी सैन्य सेवाओं का ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध उपयोग किया। कानपुर में नाना साहब पेशवा के सेनापति टीका सिंह बहेलिया ने ही नाना साहब को अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध करने के लिये प्रेरित किया था। मध्य प्रदेश के सतना के पास पिंडरा गांव के बहुत से बहेलिया लोगों को अंग्रेज़ों ने फाँसी चढ़ा दिया था। जिनकी याद में स्मारक और शहीद बहेलियों के नाम दर्ज हैं।

उक्त समुदायों ने 1857 के विद्रोह से लेकर 1880–1920 के किसान आंदोलनों में ब्रिटिश सत्ता को निरंतर चुनौती दी (Edwardes, 1909)।

3.2 जल–जंगल–जमीन पर ब्रिटिश अतिक्रमणः औपनिवेशिक शासन ने–

- जंगलों को सरकारी संपत्ति घोषित किया।
- नदियों, घाटों और जलमार्गों पर कर लगाया।
- कृषि भूमि पर लगान तीन गुना तक बढ़ाया। (Arnold, 1979)

इन कदमों से ग्रामीण कृषक–योद्धा समुदायों की आर्थिक नींव कमजोर हुई, जिसके बाद विद्रोह स्वाभाविक था।

3.3 प्रतिरोध को 'अपराध' में बदलने की औपनिवेशिक रणनीतिः जो समुदाय ब्रिटिश सेना और राजस्व प्रशासन के समक्ष न झुके, उन्हें 'Major Criminal Tribes' घोषित कर दिया गया। यह स्थिति दमन नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिशोध थी।

4. घुमंतू समुदायः माइनर क्रिमिनल ट्राइब्स और 'संदिग्ध गतिशीलता'–

4.1 घुमंतू जीवनशैली और औपनिवेशिक अविश्वासः भारतीय घुमंतू समुदाय, जो स्वयं को 'बाहरा' (बाहरी समाज) कहते हैं, स्वच्छंद, प्रकृति–निर्भर और गतिशील जीवन जीते थे। ये लोग–

- स्थिर निवास नहीं रखते थे।

अनुरूपी लेखक/ संयुक्त लेखक

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e–I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-20, No.- III, Issues-41, YEAR- July-Sept. 2026

- शिकार, खिलौने बनाना, कला–प्रदर्शन, पशु–व्यापार, ज्योतिष आदि से जीविका कमाते थे।
- परंपरागत सत्ता–संरचना से बाहर रहते थे।
- स्वयं की जाति पंचायतों से विवाद निपटाते थे। (Radhakrishn, 2001)

ऐसी गतिशीलता राजकीय निगरानी की दृष्टि से 'खतरा' मानी गई।

4.2 माइनर क्रिमिनल ट्राइब्स का औपनिवेशिक निर्माणः ब्रिटिश शासन ने कहाः "जो स्थिरवासी नहीं अर्थात आवारा घुमंतू, वह संदिग्ध है।" (Rusell – Hiralal, 1916) इस प्रकार गैर कानूनी व्यवसाय में संलग्न घुमंतू समुदायों को "माइनर क्रिमिनल ट्राइब्स" वर्ग में डाला गया।

5. फ्रेडरिक बूथ टकर, साल्वेशन आर्मी और 'सेटलमेंट कॉलोनियाँ'–

5.1 सेटलमेंट परियोजना के घोषित उद्देश्यः विलियम बूथ टकर ने 'The Salvation Army in India' (1981) में बताया कि उन्हें घुमंतू समुदाय–

- "अनियंत्रित"
- "सरकारी निगरानी से बाहर"
- "असभ्य"

लगते थे। घुमंतू जनजातियों को असभ्य मानना ब्रिटिश दृष्टिकोण था, जबकि ग्यारहवीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान के राज कवि चंद्रवरदाई जो कि भाट घुमंतू जाति के कवि और योद्धा थे। उन्होंने न केवल उत्कृष्ट साहित्य का सृजन किया बल्कि मुहम्मद गौरी के विरुद्ध युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का उत्साह वर्धन किया। इतना ही नहीं चन्द्रवरदाई ने महोबा के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध युद्ध कर रहे हिंडोलपति लोधी राजा इसुरदास के वीर योद्धाओं की प्रशंसा की। यह भाट जाति की परम्परागत निष्पक्षता को दर्शाता है।

विमुक्त एवं घुमंतू जातियों की विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध युद्ध के प्रमाण ग्यारहवीं शताब्दी में मुहम्मद गौरी, तेरह सौ तीन ईस्वी में मेवाड में अलाउद्दीन खिलजी, पंद्रहवीं शताब्दी में मुगलों और अठारहवीं शताब्दी और उसके पश्चात ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध युद्ध और सनातन संस्कृति संरक्षण के प्रमाण मिलते हैं ।

5.2 साल्वेशन आर्मी का छिपा हुआ धार्मिक उद्देश्यः इन कॉलोनियों का वास्तविक उद्देश्य था– घुमंतू समुदाय को स्थिर बनाकर ईसाई धर्म में धीरे–धीरे सम्मिलित करना। किंतु अंग्रेज़ अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुए। यद्यपि बारहा समाज, जो प्रकृति पूजक था, उनमें से जो लोग सिख लोगों के संपर्क में आये वे सिख धर्म अपना लिये, जो हिंदुओं के संपर्क में आये वे पूरी तरह हिंदू बन गये जबकि कुछ लोग मुस्लिम बन गये। जिन्हें पसमांदा मुस्लिम कहा जाता है। उनके एक ही परिवार हिंदू और मुस्लिम धर्म के मानने वाले भाई बंधु रहते हैं । मुस्लिम नट, महावत या लुंगी पठान आदि घुमंतू मुस्लिम हैं। (Booth–Tucker, 1881)

6. क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट (1871–1952): एक दमनकारी औपनिवेशिक तंत्र–

6.1 कानूनी दमनः इस अधिनियम के तहत–

- बिना वारंट गिरफ्तार।
- सामूहिक निगरानी।
- थाने में अनिवार्य हाजिरी।
- वस्त्र एवं आवागमन पर प्रतिबंध।
- बच्चों को अलग कर "री–फॉर्मेटरी" में भेजना।

जैसे दमनकारी प्रावधान लागू थे।

6.2 "निगरानी कॉलोनियों" का शासनिक मॉडलः इन कॉलोनियों का उद्देश्य था– पूरे समुदाय को राज्य की चौकसी में रखना, ईसाइयत में बाफ़मदलना और उनसे बेगारी कराना।

7. स्वतंत्र भारत में विमुक्त समुदायों की स्थिति– 1952 में नेहरू सरकार ने इस अधिनियम को समाप्त किया। लेकिन सामाजिक छवि– "जन्मजात अपराधी"– आज भी पुलिस व्यवहार, स्थानीय प्रशासन और समाजशास्त्रीय प्रचलनों में जीवित है (Idate, 2018)। तथाकथित सभ्य समाज और सरकारी नौकरशाह विमुक्त एवं घुमंतू जातियों/जनजातियों को जन्मजात अपराधी ही मानते हैं। इन विशिष्ट जातियों के लिए भारतीय संविधान में न कोई पृथक स्थान नहीं मिला। संविधान में न इनके लिए कोई अनुच्छेद है न पृथक शेड्यूल। भारत सरकार इनकी मौलिक पहचान बहाल करने और आर्थिक सशक्तिकरण के लिये प्रतिबद्ध लगती है, किंतु राज्य सरकारों का नजरिया अभी तक संवेदनशील नहीं बन सका।

8. विमुक्त समुदायः वास्तविक स्वतंत्रता–सैनिक और संस्कृति–रक्षक– पद्मश्री दादा इदाते के अनुसार–

- स्थिरवासी विमुक्त जातियाँ भूमि, जंगल व संसाधन पर स्वामित्व के कारण विदेशी शासन से संघर्षरत नैसर्गिक योद्धा थीं।
- घुमंतू जातियाँ भारत की सनातन आध्यात्मिकता, प्रकृति–उपासना, और लोक–संस्कृति की रक्षक हैं। (Idate, 2018)

यह दृष्टिकोण उपनिवेशवादी आख्यान का प्रतिपक्ष प्रस्तुत करता है।

9. निष्कर्ष (Conclusion)– विमुक्त एवं घुमंतू समुदायों का अपराधीकरण कोई सामाजिक सत्य नहीं था, बल्कि ब्रिटिश शासन का राजनीतिक–प्रशासनिक प्रकल्प था। स्थिरवासी समुदाय इसलिए अपराधी घोषित किए गए क्योंकि वे भूमि–स्वामित्व और युद्ध–परंपरा के कारण औपनिवेशिक शासन के लिए चुनौती थे। घुमंतू समुदाय इसलिए अपराधी घोषित किए गए क्योंकि वे निगरानी–व्यवस्था के बाहर थे। अतः क्रिमिनल ट्राइब्स की अवधारणा भारतीय समाज की स्वतंत्र, स्वशासी और सशस्त्र सामुदायिक परंपराओं को कमजोर करने की औपनिवेशिक रणनीति थी।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. Arnold, D. (1979). Police power and colonial rule: Madras 1859–1947. Oxford University Press.
2. Booth-Tucker, W. (1903). The Salvation Army in India. Salvation Army Press.

3. Dirks, N. B. (2001). Castes of mind: Colonialism and the making of modern India. Princeton University Press.
4. Edwardes, S. M. (1909). Crime in India. Heffer & Sons.
5. Guha, R. (1983). Elementary aspects of peasant insurgency in colonial India. Oxford University Press.
6. Idate, B. (2018). Report of the National Commission for Denotified, Nomadic and Semi-Nomadic Tribes. Government of India.
7. Lodhi, B. K. (2024). Socio-Historical Study of Denotified Tribes of India. Manak Publications New Delhi & Michigan USA.
8. Radhakrishna, M. (2001). Dishonoured by history: Criminal tribes and British colonial policy. Orient Blackswan.
9. Russell, R. V., & Hiralal. (1916). The tribes and castes of the Central Provinces of India. Government Press.
10. Singh, K. S. (2018). People of India: An anthropological survey. Anthropological Survey of India.

'लेखक एक समाज वैज्ञानिक (भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के पूर्व वरिष्ठ अध्येता) तथा राष्ट्रीय विमुक्त एवं घुमंतू जनजाति आयोग में उपसचिव व निदेशक (शोध) यह चुके हैं। संप्रतिः वे विमुक्त एवं घुमंतू जनजाति विकास परिषद (अ०भा०) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं।

*****